क्रम संख्या–191 पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 अक्टूबर, 2010 ई०
आश्विन 14, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 331/XXXVI(3)/2010/52(1)/2010
देहरादून, 06 अक्टूबर, 2010

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010"** पर दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 25 वर्ष, 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010

(अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 15 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (5) के बाद निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात :-

"परन्तु यह कि विहित ब्यौरों के बिना पंजीयन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।"

धारा 17 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 17 में :-

(क) उपधारा (6) के प्रारम्भ में शब्द "धारा 15 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन" जोड़ दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (7) के खण्ड (क) के वर्तमान उपखण्ड (तीन) में प्रयुक्त शब्द "अर्थदण्ड या ब्याज सहित" के स्थान पर शब्द "अर्थदण्ड या ब्याज तथा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, सहित" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (7) के खण्ड (ख) के वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात-

"परन्तु यह कि उक्त खण्ड (क) के अधीन किसी ब्यौहारी का पंजीयन प्रमाणपत्र निलम्बित नहीं किया जायेगा यदि उसने नोटिस में विहित समय के भीतर विवरणी अथवा विवरणियाँ दाखिल कर दी है तथा देय कर की धनराशि, ब्याज और विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, को जमा कर दिया है।"

(घ) उपधारा (8) में प्रयुक्त शब्द "अर्थदण्ड या ब्याज, यदि कोई हो, सहित" के स्थान पर शब्द "विलम्ब शुल्क, अर्थदण्ड या ब्याज, यदि कोई हो, सहित" रख दिये जायेंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 में :— **धारा 23 का संशोधन**

(क) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात–

"**(6)** प्रत्येक ब्यौहारी जिससे इस अधिनियम के अधीन विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा की गयी है, अपनी विवरणी के अनुसार देय कर तथा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, को भी या प्रस्तुत की गयी संशोधित विवरणी के अनुसार देय भिन्नक कर की धनराशि का भुगतान, ऐसी किसी धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि से अधिक वसूल की गई और साथ ही, धारा 35 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर काटी गयी धनराशि, यदि कोई हो, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाय, जमा करेंगे और विवरणी या जैसी भी स्थिति हो, संशोधित विवरणी के साथ ऐसी धनराशि के पूरे भुगतान को दर्शाती रसीद भी प्रस्तुत करेगे।"

(ख) उपधारा (7) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात :–

"परन्तु यह कि प्रत्येक ब्यौहारी, जिससे धारा 23 की उपधारा (1) के द्वारा विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है, विवरणी दाखिल करने में देरी के लिये प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिये रु0 2000/– से अनधिक उतना विलम्ब शुल्क, जितना विहित किया जाय, का भुगतान करने के लिये दायी होगा तथा ऐसी विवरणी दाखिल करने से पूर्व उसके अनुसार देय कर की सम्पूर्ण धनराशि, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान, ऐसी रीति, जैसी विहित की जाय, से करेगा।"

5. मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात :– **धारा 25 का प्रतिस्थापन**

"25 **(1)** ब्यौहारी के कराधेय आवर्त, ऐसे आवर्त पर देय कर की धनराशि तथा इनपुट टैक्स के लाभ की अनुमन्य धनराशि का प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये, अथवा जहाँ ब्यौहारी ने अपना कारबार कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग के लिये चलाया है, तो कर निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के लिये, जिसमें ब्यौहारी ने कारबार चलाया है, कर निर्धारण किया जायेगा।

(2) प्रत्येक ब्यौहारी सावधिक विवरणियों के अतिरिक्त कर निर्धारण वर्ष के लिये सभी तात्विक विशिष्टियों से पूर्ण विहित प्ररूप एवं रीति, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक विधि सम्मिलित है, में विहित समय के भीतर अपने आवर्त की एक वार्षिक विवरणी तथा उसके द्वारा देय कर, ऐसी सूचनाओं, विशिष्टियों तथा उपाबन्धों सहित, जैसा कि विहित किया जाय, समर्थक दस्तावेजों, जिसमें निम्न सम्मिलित है, सहित, दाखिल करेगा—

(क) क्रय आवर्त, विक्रय आवर्त और अन्य संव्यवहारों की विशिष्टियाँ और प्रारम्भिक व अन्तिम स्टाक की कीमत;

(ख) ऐसी विवरणी के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ के दावे सहित उसके द्वारा देय कर की धनराशि के अन्तिम स्वनिर्धारण की संगणना;

(ग) ऐसे घोषणापत्र, प्रमाणपत्र और ऐसे अन्य साक्ष्य, जिन पर ब्यौहारी अपने अन्तिम स्वःनिर्धारण में देय कर की धनराशि की संगणना में घोषित छूट, रियायत अथवा कर में रिबेट के दावों के समर्थन में निर्भर करता है;

(घ) अपने अन्तिम स्वनिर्धारण की संगणना के आधार पर अतिरिक्त कर, ब्याज, समाधान धनराशि अथवा देय शुल्क के भुगतान का साक्ष्य;

(ङ) स्रोत पर की गयी कर अथवा उसके भाग, यदि कोई हो, की दावाकृत कटौती का साक्ष्य;

(च) यदि ऐसी विवरणी विहित समय के भीतर दाखिल नहीं की गयी है तो देय शुल्क, जैसा कि विहित किया जाय, के भुगतान का साक्ष्य;

(छ) अधिनियम की धारा 62 के अधीन अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की एक सत्य प्रति; और

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, सूचना, दस्तावेज और विवरण, जैसा कि विहित की जायें।

कोई वार्षिक विवरणी, वार्षिक विवरणी नहीं समझी जायेगी यदि वह सभी तात्विक विशिष्टियों से पूर्ण न हो, विहित प्ररूप तथा रीति में दाखिल न की गयी हो तथा जिसमें ऐसी सूचना, विशिष्टियाँ तथा उपबन्ध, जैसा कि विहित किया जाय, अन्तर्विष्ट न हो अथवा इस

उपधारा की अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो। वह तारीख, जिसमें उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक विवरणी दाखिल की गयी है, को उसके दाखिल करने की तारीख मानी जायेगी;

परन्तु यह कि प्रत्येक ब्यौहारी, जिसके द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिये रु0 2000/– से अनधिक उतना विलम्ब शुल्क, जितना विहित किया जाय, का भुगतान करने के लिये दायी होगा तथा ऐसी विवरणी दाखिल करने से पूर्व उसके अनुसार देय कर की सम्पूर्ण धनराशि, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान, ऐसी रीति, जैसी विहित की जाय, से करेगा।

(3) **स्वतः निर्धारित (डीम्ड) कर निर्धारण** :– इस धारा की उपधारा (4) तथा उपधारा (9) के अध्यधीन संकर्म संविदाकारों, जिन्होंने धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान योजना को नहीं अपनाया है, को छोड़कर, प्रत्येक ब्यौहारी स्वयं के द्वारा धारा 25 की उपधारा (2) में निर्धारित वार्षिक विवरणी के आधार पर स्वतः कर निर्धारित मान लिया जायेगा, बशर्ते, यह विहित समय और यदि विलम्ब से दाखिल की गयी है किन्तु उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष की 30 जून के पश्चात् नहीं, विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के साक्ष्य सहित ऐसी विवरणी दाखिल की गयी है।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जो ब्यौहारी उपधारा (3) के अधीन स्वतः कर निर्धारित समझे गये हैं, में से एक या एक से अधिक ब्यौहारी उपधारा (6) तथा उपधारा (7) के अधीन कर निर्धारण के लिये चयनित किये जा सकते हैं, ऐसे ब्यौहारियों का चयन जाँच के बाद किया जायेगा। जाँच के लिये ब्यौहारियों का चयन और उसके पश्चात् कर निर्धारण वर्ष के लिये चयन, ऐसी रीति, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, से किया जायेगा।

(5) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन हेतु–

(क) ब्यौहारी द्वारा धारा 25 की उपधारा (2) अथवा धारा 23 की उपधारा (13) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी कर निर्धारण आदेश माना जायेगा तथा उसमें उल्लिखित तथ्य तथा आंकड़े ऐसे कर निर्धारण आदेश के भाग माने जायेंगे; और

(ख) वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु विहित अन्तिम तारीख, अथवा वास्तविक तारीख जिसमें ऐसी विवरणी विहित विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के साथ दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसे कर निर्धारण आदेश की तारीख मानी जायेगी।

(6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए ऐसे ब्यौहारी, जिन्हें उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारित नहीं किया गया है अथवा जो उपधारा (4) के अधीन कर निर्धारण के लिये चुने गये हैं, का कर निर्धारण करने के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे ब्यौहारी पर एक नोटिस की तामीली करेगा, जिसमे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तथा स्थान पर उपस्थित होने तथा सावधिक विवरणियाँ एवं अपने आवर्त की वार्षिक विवरणी, यदि पूर्व में दाखिल नहीं की गयी हैं, विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के साक्ष्य तथा लेखा पुस्तकें एवं सभी साक्ष्य, जिनके ऊपर अपनी विवरणियों, जिनमें बिक्री एवं खरीद बीजक सम्मिलित हैं, के समर्थन में निर्भर करता है, को प्रस्तुत करेगा अथवा करवायेगा अथवा ऐसे साक्ष्य, जैसा कि नोटिस मे विनिर्दिष्ट किया गया हो, को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के अधीन सावधिक विवरणियों तथा वार्षिक विवरण दाखिल करने के लिये दिया गया अवसर कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसी विवरणियाँ विहित समय के भीतर दाखिल न करने के लिये कर निर्धारक प्राधिकारी को अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन अर्थदण्ड, ब्याज अथवा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, अधिरोपित करने के लिये नहीं रोकेगा।

(7) यदि ब्यौहारी उपधारा (6) के अधीन जारी नोटिस का अनुपालन करता है और कर निर्धारक प्राधिकारी सावधिक विवरणियों, वार्षिक विवरणी, लेखा पुस्तकें और दस्तावेजों की जाँच के बाद और कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत सभी साक्ष्यों अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित अथवा प्राप्त साक्ष्यों की जॉच पर विचारोपरान्त और ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् :–

(क) सन्तुष्ट है कि ब्यौहारी द्वारा वार्षिक विवरणी में घोषित विक्रय तथा क्रय का आवर्त तथा दिखायी गयी देय कर की धनराशि सही है तो लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्यौहारी के कर का निर्धारण करेगा; और

(ख) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी की ऐसी राय है कि ब्यौहारी द्वारा घोषित विक्रय अथवा क्रय आवर्त अथवा कर की देयता तथा उसके द्वारा भुगतान की गयी कर की धनराशि सही प्रतीत नहीं होती है तो वह उसके द्वारा घोषित विक्रय अथवा क्रय आवर्त अथवा कर की देयता अस्वीकार करने के लिये कारणों का उल्लेख करते हुए, कारण बताओ नोटिस द्वारा, उसको सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और ब्यौहारी द्वारा दाखिल उत्तर पर विचारोपरान्त :–

(एक) यदि उसका समाधान हो जाता है कि ब्यौहारी द्वारा वार्षिक विवरणी में घोषित आवर्त सही है तो वह अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक लिखित आदेश द्वारा ब्यौहारी का कर निर्धारण करेगा;

(दो) यदि ब्यौहारी द्वारा दाखिल उत्तर से उसका समाधान नहीं होता है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा अपने सर्वोत्तम विवेक से अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसके आवर्त तथा उस पर देय कर का अवधारण करेगा;

परन्तु यह कि जहाँ उपधारा (6) के अधीन सावधिक विवरणियाँ तथा वार्षिक विवरणी विलम्ब शुल्क जमा करने के सबूत के साथ दाखिल करने के लिये तथा लेखा पुस्तकें तथा दस्तावेज एवं साक्ष्य जिन पर ब्यौहारी अपनी विवरणियाँ बिक्री बीजकों सहित, के समर्थन में अथवा ऐसे साक्ष्य, जैसा कि नोटिस मे विनिर्दिष्ट किया जाय को प्रस्तुत करने हेतु ब्यौहारी को अवसर दिया गया है किन्तु किसी कारणवश उसने ऐसे अवसर का उपभोग नहीं किया है और उसके कारण विवरणियों में दिखायी गयी विशिष्टियों की शुद्धता एवं औचित्य का परीक्षण नहीं कर पाया है तो अपने सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे ब्यौहारी को, कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन धारा 32 में विहित समय सीमा के पश्चात् कोई कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

(8) किसी कर अवधि के लिए धारा 24 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण आदेश करनिर्धारक प्राधिकारी को अन्तिम कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगा और अनन्तिम कर निर्धारण आदेश इस धारा के अधीन पारित अन्तिम कर निर्धारण आदेश में विलीन हो जायेगा।

(9) <u>टैक्स ऑडिटः</u>

(क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी ब्यौहारी, जो इस प्रयोजन हेतु चयनित किया गया है, के अभिलेख एवं इससे सम्बन्धित दस्तावेजों का टैक्स ऑडिट, ब्यौहारी द्वारा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रायोजन से अथवा सावधिक तथा अन्तिम विवरणियों की शुद्धता और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ सहित विभिन्न दावों की ग्राह्यता का परीक्षण करने के लिये, किया जा सकता है;

परन्तु यह कि किसी कर निर्धारण वर्ष के टैक्स ऑडिट हेतु ऐसे किसी ब्यौहारी का चयन नहीं किया जा सकेगा, जिसके लिये धारा 25 की उपधारा (6) अथवा (7) के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है अथवा पूर्ण कर दी गयी है;

परन्तु यह और कि किसी कर निर्धारण वर्ष के टैक्स ऑडिट हेतु किसी कर निर्धारण वर्ष के अन्त से पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी ब्यौहारी का चयन नहीं किया जायेगा।

(ख) टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट विंग में तैनात किसी अधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(ग) टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु किसी ब्यौहारी अथवा ब्यौहारियों का चयन ऐसी रीति, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय, से किया जायेगा।

(घ) टैक्स ऑडिट ब्यौहारी के कार्यालय, कारबार परिसर अथवा भाण्डागार में किया जा सकता है। तथापि ऑडिट करने वाला अधिकारी, यदि आवश्यक समझे, ब्यौहारी को आदेशित कर सकता है कि इस उनके कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय उपस्थित हों और लेखों पुस्तकों, दस्तावेजों को प्रस्तुत करें या प्रस्तुत करवायें।

यदि इस उपधारा में तामील किये गये नोटिस के अनुपालन में ब्यौहारी, टैक्स ऑडिट के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय अथवा किसी अन्य स्थान, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, पर उपस्थित नहीं होता है और यदि उपस्थित होता है किन्तु अपनी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है अथवा नहीं कराता है, तो टैक्स ऑडिट का प्रभारी अधिकारी नोटिस के प्रत्येक अनुपालन के लिये रु0 5000/– तक का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है। ऐसा कोई अर्थदण्ड ब्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। देयों की वसूली से सम्बन्धित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के लिये लागू होंगे।

(ङ) टैक्स ऑडिट करने वाले अधिकारी को लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण अथवा प्रतिलिपियाँ लेने अथवा लिवाने, ऐसी सूचना अथवा विवरण, जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में लाभदायक अथवा प्रासंगिक हो, को लेने की शक्ति प्राप्त होगी। ब्यौहारी ऑडिट के अनुक्रम के दौरान ऑडिट पार्टी को पूर्ण सहयोग और सहायता उपलब्ध करायेगा।

यदि ब्यौहारी, टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु अपेक्षित लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण लेने अथवा प्रतिलिपियाँ लेने और टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु अपेक्षित सूचना अथवा विवरण प्राप्त करने से रोकता है अथवा वाधित करता है अथवा ऑडिट के अनुक्रम के दौरान ऑडिट पार्टी को सहयोग नहीं करता है तथा सहायता प्रदान नहीं करता है तो टैक्स ऑडिट का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक अनुपालन के लिये रु0 10,000/– तक का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है। ऐसा कोई अर्थदण्ड ब्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर

दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा। देयों की वसूली से सम्बन्धित प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के लिये लागू होंगे।

(च) टैक्स ऑडिट की समाप्ति के बाद एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कर निर्धारक प्राधिकारी तथा सम्बन्धित ब्यौहारी को भेजी जायेगी;

परन्तु यह कि यदि ऑडिट करने वाले अधिकारी को विश्वास करने का आधार है कि;

(एक) किसी कर के सम्बन्ध में आवर्त का सम्पूर्ण अथवा कोई भाग कर निर्धारण होने से रह गया है; या

(दो) किसी कर के सम्बन्ध में आवर्त का सम्पूर्ण अथवा कोई भाग अवनिर्धारित हो गया है; या

(तीन) किसी कर के सम्बन्ध में आवर्त का सम्पूर्ण अथवा किसी भाग पर निर्धारणीय दर से कम दर पर टैक्स निर्धारित किया गया है; या

(चार) किसी छूट अथवा कटौती का गलत दावा किया गया है;

(पाँच) किसी कर लाभ का गलत दावा किया गया है।

कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ब्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अभिनिश्चित नहीं की जायेगी।

(छ) कर निर्धारक प्राधिकारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

(10) एक ही कर निर्धारण वर्ष के लिये निम्नलिखित ब्यौहारियों या ब्यौहारियों के वर्ग के मामलों में भिन्न भिन्न संव्यवहार के सम्बन्ध में एक से अधिक कर निर्धारण किये जा सकते है और इनको एक कर निर्धारण वर्ष का भाग माना जायेगा –

(क) ऐसे ब्यौहारियों, जिन्होंने राज्य से होकर माल के पारगमन हेतु एक से अधिक प्राधिकार प्राप्त किये है, पर राज्य से होकर पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के सम्बन्ध में;

(ख) नैमित्तिक ब्यौहारी, जिन्होंने पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है और कारबार का कोई नियत स्थान नहीं है, पर विभिन्न कर

निर्धारक प्राधिकारियों द्वारा, जिनकी अधिकारिता में उसने कारबार चलाया है;

(ग) अपंजीकृत ब्यौहारी, जो कराधेय माल आयात करता है, पर माल आयात करने के प्रत्येक अवसर पर;

(घ) अपंजीकृत ब्यौहारी, जो एक से अधिक करनिर्धारक प्राधिकारी की अधिकारिता में या तो संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण करता है, पर प्रत्येक करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता में किये गये कारबार के सम्बन्ध में;

परन्तु यह कि विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त के किसी एक ही संव्यवहार के सम्बन्ध में एक से अधिक कर निर्धारण नहीं किये जायेंगे।

(11) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के विक्रय–धन पर कर की दरें परिवर्तित की जाती है या उसके सम्बन्ध में छूट स्वीकृत की जाती है या निरस्त की जाती है, तो, जहाँ तक इसका परिवर्तन छूट या निरस्तीकरण की तारीख से पश्चात् की अवधि के माल के ऐसे विक्रय–धन के भाग के सम्बन्ध में है, कर निर्धारण दरों में इस प्रकार हुये परिवर्तन या इस प्रकार दी गई छूट या निरस्त की गई छूट के आधार पर किया जायेगा।

(12) इस धारा के अधीन किया गया कोई कर निर्धारण इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी अर्थदण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

धारा 34 का संशोधन

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 34 में :–

(क) उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "कोई अन्य धनराशि" के बाद शब्द "विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, सहित" जोड़ दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात–

"(2) धारा 23 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी विवरणी से आच्छादित कर अवधि के लिये उसके द्वारा देय कर की धनराशि, देय अर्थदण्ड या ब्याज या विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, अथवा तीनों की धनराशि या धारा 25 के अधीन देय विलम्ब शुल्क,

यदि कोई हो, सहित राजकीय कोषागार में ऐसी रीति और ऐसे अन्तराल से, जैसा कि विहित किया जाय, जमा की जायेगी और ऐसी धनराशि का भुगतान दर्शाती कोषागार की रसीद अथवा ई–पैमेन्ट का सबूत दाखिल करेगा।"

(ग) उपधारा (10) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "कोई कर अथवा अन्य धनराशियों" के बाद शब्द "विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, सहित" जोड़ दिये जायेंगे।

धारा 35 में संशोधन

7. मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 35 में उपधारा (12) के बाद एक नयी उपधारा (13) जोड़ दी जायेगी; अर्थात–

"(13) (क) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह पंजीकृत ब्यौहारी नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी को टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर आवंटित करने हेतु विहित प्रारूप में प्रार्थना पत्र दाखिल करेगा। कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण ऐसे समय में और ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाय, किया जायेगा;

(ख) यदि प्रार्थना पत्र व्यवस्थित रूप में है तथा उसमें उल्लिखित विशिष्टियाँ सही है तो कर निर्धारक प्राधिकारी उसे एक टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर आवंटित करेगा;

(ग) टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर, टैक्स जमा करने से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा सभी पत्राचार एवं दाखिल विवरणियों में उल्लिखित किया जायेगा। पंजीकृत ब्यौहारी से भिन्न कोई व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती नहीं कर सकेगा जबतक कि उसने टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर के लिये आवेदन नहीं किया है;

(घ) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर आवेदन करने मे असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड के लिये दायी होगा।

धारा 36 का संशोधन

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 में :–

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात–

"(3) यदि कोई धनराशि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार वापसी योग्य पाई जाती है, तो वापसी विहित रीति जिसमें इलैक्ट्रॉनिक विधि सम्मिलित है, से वापसी के आदेश की तारीख अथवा यदि ऐसा आदेश किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा वापसी के आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर की जायेगी। यदि वापसी ऐसे आदेश की तारीख अथवा जैसी भी स्थिति हो, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसे वापसी के आदेश की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर नहीं की जाती है, तो व्यौहारी ऐसी अवधि की समाप्ति से वापसी की तारीख तक ऐसी धनराशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का हकदार होगा;

परन्तु यह कि धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसार उन मामलों में जिन्हें स्वतः कर निर्धारित किया गया है, कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है तो वापसी उस विशिष्ट कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिये विहित अन्तिम तारीख अथवा वास्तविक तारीख जब कि वार्षिक विवरणी दाखिल की गयी है, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, से एक वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर की जायेगी।"

(ख) उपधारा (5) के स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात–

"**स्पष्टीकरण (2)** यदि वापसी इलैक्ट्रॉनिक विधि से की जाती है तो वापसी की तारीख वह तारीख समझी जायेगी, जिस तारीख में वापसी की गयी है अन्यथा वापसी की तारीख वह मानी जायेगी, जिस तारीख को रिफण्ड वाऊचर तैयार करने की सूचना व्यौहारी को विहित रीति से भेजी गयी है।"

9. मूल अधिनियम की धारा 41 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात– **धारा 41 का संशोधन**

"(1) कोई व्यौहारी या व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश, या किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में वापसी का हकदार है, तो वह नियमों के अध्यधीन वापसी के अतिरिक्त 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने का भी हकदार होगा,

यदि धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार रिफण्ड वाऊचर/रिफण्ड की इलैक्ट्रॉनिक सूचना नहीं भेजी जाती है।"

धारा 51 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 51 की वर्तमान उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यौहारी या अन्य व्यक्ति" के बाद शब्द "अथवा टैक्स ऑडिट के प्रभारी अधिकारी द्वारा" जोड़ दी जायेगी।

धारा 56 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 56 में (ख) के बाद निम्नलिखित खण्ड (ग) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात–

"**(ग)** धारा 25 की उपधारा (4) अथवा धारा 25 की उपधारा (9) के खण्ड (ग) के अधीन कोई आदेश।"

धारा 58 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) में :–

(1) खण्ड (चार) के वर्तमान अर्थदण्ड के उपबन्ध जो कि स्तम्भ–2 में उल्लिखित है, के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"**(चार)** देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो;

परन्तु यह कि जहाँ अवधि बढ़ाने के लिये समय प्राप्त किया गया है तथा विलम्ब शुल्क जमा कर दिया गया है तो उपरोक्त अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि उन मामलों में जहाँ करदेयता शून्य है और समय बढ़ाने के लिये विलम्ब शुल्क के साथ समय नहीं लिया गया है तो प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये अधिकतम दो हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।"

(2) खण्ड (छत्तीस) के बाद एक नया खण्ड (सैंतीस) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 अपराध	स्तम्भ–2 अर्थदण्ड
(सैंतीस) धारा 35 की उपधारा (13) के अधीन टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर प्राप्त करने के लिये दायी व्यक्ति यदि टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर हेतु आवेदन करने में असफल रहता है।	**(सैंतीस)** प्रथम तीन माह के दौरान व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिये पांच सौ रुपये और प्रथम तीन माह के बाद निरन्तर व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिये एक हजार रुपये।

13. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के वर्तमान खण्ड (क) और (ख) दोनों में प्रयुक्त शब्द "पंजीयन प्रार्थना पत्र संख्या" के बाद शब्द "अर्थात टैक्स पेयर्स आइडैन्टिफिकेशन नम्बर (टिन)" बढ़ा दी जायेगी। **धारा 60 का संशोधन**

14. मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 62 में– **धारा 62 का संशोधन**

(क) उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "अनुवर्ती वर्ष में 31 दिसम्बर से पूर्व" हटा दी जायेगी।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात :–

"**(2)** ऐसे ब्यौहारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की सत्य प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को धारा 25 में विहित वार्षिक विवरणी के साथ दाखिल की जायेगी।"

(ग) उपधारा (3) में प्रयुक्त शब्द "अनुवर्ती वर्ष में 31 दिसम्बर तक" के स्थान पर शब्द "धारा 25 में विहित वार्षिक विवरणी के साथ" रख दी जायेगी।

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 331/XXXVI(3)/2010/52(1)/2010
Dated Dehradun, October 06, 2010

Notification

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2010'** (Adhiniyam Sankhya 25 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 04 October. 2010.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2010

(Act No. 25 of 2010)

An

Act

Further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty first year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force with immediate effect.

Amendment of Section 15

2. In the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, (hereinafter referred to as the Principal Act) after the existing sub-section (5) of Section 15, the following a new proviso shall be added; namely-

"Provided that an application for registration without furnishing the prescribed details shall not be accepted."

Amendment of Section 17

3. (1) In section 17 of the Principal Act -

(a) the words "subject to the provisions of sub-section (5) of Section 15" shall be added in the beginning of sub-section (6);

(b) Sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (7), for the words "including penalty or interest", occurring therein, the words "including penalty or interest, and late fee, if any," shall be substituted.

(c) For the existing proviso of clause (b) of sub-section (7), the following proviso shall be substituted; namely-

"Provided that under clause (a) above the certificate of registration of a dealer shall not be

suspended if he has furnished return or returns and deposited the amount of tax due, interest and late fee, if any, payable within the time prescribed in the notice."

(d) Sub-section (8), for the existing words "including penalty or interest, if any" occurring therein, the words "including penalty, interest or late fee, if any," shall be substituted.

Amendment of Section 23

4. **(1)** I n section 23 of the "Principal Act" –

(a) For the existing sub-section (6), the following sub-section shall be substituted; namely-

"(6) Every dealer required to file return under this Section shall pay the amount of tax payable according to the return and also late fee, if any, or the differential tax payable according to the revised return furnished, along with any such amount which has been wrongly realized in excess of an amount of tax due under this Act and also the amount of tax, if any, deducted at source as per the provisions under Section 35, in such manner as may be prescribed, and shall furnish along with the return or revised return, as the case may be, a receipt showing full payment of such amount."

(b) The following proviso shall be added in sub-section (7); namely-

"Provided that every dealer required by sub-section (1) of section 23 to furnish a return shall be liable to pay such late fee not exceeding rupees 2000/- for each month or part thereof, of delay in furnishing return, as may be prescribed, and pay before furnishing such return the full amount of tax, interest and late fee, if any, payable according to such return in the manner as may be prescribed."

Substitution of Section 25

5. For the existing section 25 of the Principal Act, the following section shall be substituted; namely-

"**25. (1)** There shall be an assessment of taxable turnover, amount of tax payable on such turnover, and amount of input tax credit admissible to a dealer for each assessment year or where the dealer has carried on his business for a part of an assessment year, for such part of assessment year during which the dealer has carried on business.

(2) Every dealer shall, for the assessment year, submit to the assessing authority in addition to periodical returns, an annual return of his turnover and the amount of tax due from him, complete in all material particulars, in the prescribed form and manner, including electronic methods, within the prescribed time, containing such information, particulars and annexure as may be prescribed, accompanied by supporting documents, including.

(a) particulars of turnover of purchase, sale and other transactions and value of opening and closing stocks;

(b) computation of his own final assessment of amount of tax due from him on the basis of such return including claim for input tax credit;

(c) such declarations, certificates, and such other evidences on which the dealer relies in support of his claim of exemption, concession or rebate of tax declared in "the computation of his own final assessment of amount of tax due from him;

(d) proof of payment of the additional tax, interest, composition money or fee due as per computation of his own assessment;

(e) proof of tax or part thereof, if any, claimed to have been deducted at source(TDS).

(f) proof of payment of late fee as may be prescribed in case such return is not filed within the prescribed time;

(g) a true copy of the audit report as required under Section 62 of the Act and

(h) such other particulars, information, documents and statements as may be prescribed.

An annual return shall not be treated as such if it is not complete in all material particulars, is not filed in the prescribed form and manner, does not contain such information, particulars and annexures as may be prescribed or does not comply with the requirements of this sub-section. The date, on which the annual return as contemplated above is submitted, shall be treated as the date of its submission;

Provided that every dealer required to furnish annual return shall be liable to pay such late fee not exceeding rupees 2000/- for each month or part thereof, of delay in furnishing annual return, as may be prescribed, and pay before furnishing such return the full amount of tax, interest and late fee, if any, payable according to such return in the manner, as may be prescribed.

(3) Deemed Assessment:

Subject to the provisions of sub-section (4) and sub-section (9) of this Section, every dealer, excluding works contractors who have not opted for composition under the provisions of sub-section (2) of Section 7, shall be deemed to have been assessed to tax, based on annual return filed by him as provided in sub-section (2) of Section 25, provided that it is filed within the prescribed time or if filed late, but not beyond 30th June of the succeeding assessment year, along with the proof of the payment of late fee, if any.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, from among the dealers who are deemed to have been assessed under sub section (3), a dealer or dealers may be selected for assessment under sub-section (6) and sub-section (7). Selection of such dealer/s shall be made after scrutiny. Selection of dealer/s for scrutiny and thereafter selection for assessment, for an assessment year, shall be made in the manner as may be prescribed by the Commissioner.

(5) For the purposes of this Act and the rules made there under-

(a) the annual return, referred to in sub-section (2) of Section 25 or in sub-section (13) of Section 23, filed by the dealer, shall be deemed to be the assessment order and the facts disclosed and the figures mentioned in such return shall be deemed to be part of such assessment order; and

(b) the last date, prescribed for submission of annual return or the actual date, on which such return is filed along with the prescribed late fee, if any, whichever is later, shall be deemed to be the date of such assessment order.

(6) Notwithstanding anything contained in this section, to assess a dealer who has not been deemed assessed under sub-section (3) or who has been selected for assessment under sub-section(4), the assessing authority shall serve on such dealer, a notice requiring him to appear on a date and at a place specified therein, to attend and submit periodical returns and annual return of his turnover, if not filed earlier, along with the proof of payment of late fee, if any, and to produce or cause to be produced the books of accounts and all evidences on which the dealer relies in support of his returns including sale and purchase invoices, or

to produce such evidences as may be specified in the notice.

Explanation: Opportunity given under this sub-section for submission of periodical returns and annual return shall not prevent the Assessing Authority from imposing penalties, interest or late fee, if any, under any other provisions of the Act, for not filing such returns within the time prescribed.

(7) If the dealer complies with the notice issued under sub-section (6) and the assessing authority after examining periodical returns, the annual return, books of accounts and documents and after considering all the evidences produced in the course of proceedings or the evidences collected or received by the assessing authority and after making such enquiry, as he may deem fit,

(a) is satisfied that turnover of sales and purchases disclosed and amount of tax shown as payable by the dealer in the annual return is correct, assess the dealer to tax in accordance with the provisions of the Act, by an order in writing.

(b) if the assessing authority is of the opinion that the turnover or the liability of the tax disclosed by the dealer and the amount of tax paid by the dealer does not appear to be correct shall give him reasonable opportunity of being heard by giving him a show cause notice stating the reason, for non acceptance of the turnover of sales or purchase or liability of tax as disclosed by the dealer, and after considering the reply submitted by the dealer;

(i) if he is satisfied that the turnover disclosed by the dealer in the annual return is correct, shall assess the dealer to tax by an order in writing according to the provisions of the Act,

(ii) if he is not satisfied with the reply submitted

by the dealer, shall determine the turnover to the best of his judgment and the tax payable thereon according to the provisions of the Act, by an order in writing;

Provided that where the opportunity under sub-section (6) for submission of periodical returns and annual return along with the proof of deposit of late fee and production of books, accounts and documents and evidences on which the dealer relies in support of his returns including sale invoices, or for production of such evidences as may be specified in the notice has been afforded to the dealer but for any reason he has not availed such opportunity and thereby the assessing authority could not examine the correctness and propriety of particulars shown in such returns, it shall not be necessary to issue show cause notice to such dealer before making an assessment order to the best of his judgment;

Provided further that, no assessment order under this sub-section shall be passed after the time limit as prescribed in Section 32 of the Act.

(8) Any provisional assessment order in respect of any tax period under Section 24 shall not prevent the assessing authority to make final assessment and the provisional assessment order shall stand merged in the final assessment order passed under this Section.

(9) <u>Tax audit :</u>

(a) Notwithstanding anything contained in this Act tax audit of records and related documents of a dealer, selected for this purpose may be conducted for the purpose of ensuring the compliance by the dealer of the requirements of the Act or for examining the correctness of periodical and final returns and admissibility of various claims including input tax credit;

Provided that no dealer may be selected for tax audit, for an assessment year for which proceedings under sub-section (6) or (7) of Section. 25 have been initiated or completed by the assessing authority;

Provided further that no dealer may be selected for tax audit for an assessment year after the expiration of five years from the end of such assessment year.

(b) Tax audit may be conducted by an officer, posted in the tax audit wing or by any other officer authorized for this purpose by the commissioner;

(c) The selection of dealer or dealers for the purpose of tax audit shall be in the manner as may be prescribed by the Commissioner;

(d) Tax audit may be taken up in the office, business premises or warehouse of the dealer. However, the officer conducting audit may, if he deems fit, require the dealer either to attend and produce or cause to be produced the books of accounts and other documents in his office or any other place which may be specified in the notice,

If in compliance of the notice served in this sub-section, the dealer does not attend the office of the officer in charge of tax audit or any other place which may be specified in the notice; or if attends does not produce or cause to be produced the books of accounts and other documents, the officer in charge of tax audit may impose a penalty of upto Rs. 5000/- for each non compliance of the notice. No such penalty shall be imposed without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard. The provisions relating to recovery of dues shall

mutatis mutandis apply for recovery of imposed penalty;

(e) The officer conducting the tax audit shall have powers to make or cause to be made extracts or copies from the books of accounts and other documents, seek such information or statement, which may be useful and relevant to any proceeding under this Act. The dealer shall provide full co-operation and assistance to the audit party during the course of audit.

If the dealer prevents or obstructs the officer from making extracts or copies from the books of the account and other documents required for the purpose of tax audit, or from seeking such information or statements required for the purpose of tax audit or does not cooperate and assist the audit party during the course of audit, the officer in charge of the tax audit may impose a penalty upto Rs. 10,000/- for each non compliance. No such penalty shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer. The provisions relating to recovery of dues shall mutatis mutandis apply for recovery of imposed penalty;

(f) After the completion of the tax audit, a tax audit report shall be sent to the Assessing Authority and the dealer concerned;

Provided that in case the officer conducting the audit has reason to believe that;

(i) the whole or any part of the turnover in respect of any tax has escaped the assessment; or

(ii) the whole or any part of the turnover in respect of any tax has been under assessed; or

(iii) the whole or any part of the turnover in

respect of any tax has been assessed, at a rate lower than the rate at which it is assessable; or

(iv) any exemption or deduction has been wrongly claimed; or

(v) any tax credit has been wrongly claimed. no tax audit report shall be finalized without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard.

(g) The Assessing authority on the basis of the "tax audit report" may initiate necessary proceedings as per the provisions of the Ac;

(10) In cases of the following dealers or class of dealers in respect of different transactions more than one assessment may be made for the same assessment year and will be treated as part of one assessment year-

(a) dealer who has obtained more than one authorization for transit of goods through the State; in respect of each authorization for transit of goods to the State;

(b) casual dealer who has no fixed place of business, by different assessing authorities in whose jurisdiction he has carried on business;

(c) unregistered dealer who imports taxable goods on each occasion, he imports the goods;

(d) unregistered dealer who either executes works contracts or effects transfer of right to use any goods, for any purpose in jurisdiction of more than one assessing authorities and has no fixed place of business, by each assessing authority in respect of business carried out in his jurisdiction;

Provided that more than one assessment shall not be made in respect of the same turnover of sales or the same turnover of purchase..

(11) Where during the course of an assessment year the . of tax on the turnover of any goods or class of goods is varied or an exemption in respect thereof is granted or cancelled the assessment, so far as it relates to the portion of such turnover for the period after the date of variation, exemption or cancellation shall be made on the basis of the rate so varied or the exemption so granted or cancelled.

(12) Any assessment made under this section shall be without prejudice to any penalty imposed under the Act."

Amendment of Section 34

6. (1) In section 34 of the Principal Act-

(a) In sub-section (1), after the words "Any other amount" occurring therein, the words "including late fee, if any," shall be added;

(b) For the existing sub-section (2), the following sub-section shall be substituted; namely-

"(2) A registered dealer furnishing return under section 23 shall pay into the Government treasury, in such manner and at such interval as may be prescribed, the amount of tax due from him for the period covered under the return along with the amount of penalty or interest or late fee, if any, or all the three payable by him under section 23 or late fee, if any, payable by him under section 25 and shall furnish a receipt from the Treasury or proof of e-payment showing the payment of such amount."

(c) In sub-section (10), in the first line, after the words "Any tax or other dues", occurring therein, the words "Any tax or other dues including late fee, if any," shall be added.

Amendment of Section 35

7. In the existing section 35 of the "Principal Act", after sub-section (12), a new sub-section (13) shall be added; namely-

"**(13)(i)** Every person responsible for making tax deduction at source in accordance with the provisions of this Section, if he is not registered dealer, shall submit an application in the prescribed form to the Assessing Authority for allotment of Tax Deduction Account Number. The application shall be disposed of by the Assessing Authority in such time and manner as may be prescribed;

(ii) if the application is in order and particulars given therein are correct, the Assessing Authority shall allot him a Tax Deduction Account Number;

(iii) Tax Deduction Account Number shall be mentioned in all the documents pertaining to deposit of tax and in all correspondence and returns filed. No person other than a registered dealer can make tax deduction at source unless he has applied for a Tax Deduction Account Number;

(iv) If any person referred to in clause (i) above fails to apply for Tax Deduction Account Number, he shall be liable for penalty as per the provisions of this Act."

8. In section 36 of the "Principal Act – **Amendment of Section 36**

(a) For the existing sub-section (3) of the following sub-section shall be substituted; namely-

"**(3)** If any amount is found to be refundable in accordance with sub-section (1) or sub-section (2), the refund shall be made in the prescribed manner including electronic methods within one month from the date of order of refund or the date of receipt, of the order of refund by the assessing authority, if such order is

passed by any other competent authority or Court. If the refund is not made within sixty days of the date of such order or, as the case may be, the date of receipt of such order of refund, by the assessing authority, the dealer shall be entitled to simple interest on such amount at the rate of nine percent per annum from the date of expiry of such period to the date of refund;

Provided that if any amount is found to be refundable in the cases deemed to have been self assessed in accordance with sub-section (3) of Section 25, the refund shall be made within one month of the expiry of one year from the last date prescribed for filing the annual return relating to the particular assessment year or the actual date, when the annual return is filed, whichever is later.

(b) For the existing explanation (2) of sub-section (5), the following explanation shall be substituted; namely-

Explanation(2) If the refund is made electronically the date of refund shall be deemed to be the date on which the refund is made, otherwise the date of refund shall be deemed to be the date on which intimation regarding preparation of the refund voucher is sent to the dealer in the manner prescribed.

Amendment of Section 41

9. For the existing sub-section (1) of Section 41 of the "Principal Act", the following sub-section shall be substituted; namely-

"(1) Any dealer or a person entitled to refund in pursuance of any order under this Act (including assessment under Section 24, Section 25, or Section 26) or in

pursuance of any order by any court, shall subject to rules, be entitled to receive, in addition to the refund, a simple interest at the rate of nine percent per annum if the refund voucher/ electronic intimation of refund is not sent to him as per the provisions of section 36."

10. For the existing sub-section (7) of Section 48 of the "Principal Act", the following sub-section shall be substituted; namely- **Amendment of Section 48**

"(7) The provisions of sub-section (3), sub-section (6), sub-section (7), sub-section (8), sub-section (9) and sub-section (10) of Section-43 shall mutatis mutandis apply to such detention as they apply to seizure under that section."

11. In the existing sub-section (1) of Section 51 of the "Principal Act", after the words "Any dealer or other person aggrieved by an order made by the Assessing authority" the words "or by an officer in charge of tax audit", shall be added. **Amendment of Section 51**

12. In the existing Section 56 of the "Principal Act", after clause (b), the following clause (c) shall be added; namely- **Amendment of Section 56**

"(c) any order under sub-section (4) of Section 25 or clause (c) of sub section (9) of Section 25."

13. In sub-section (1) of Section 58 of the Principal Act- **Amendment of Section 58**

(a) For the existing penalty provision of clause (iv) mentioned in column-2, the following provisions shall be substituted; namely-

"(iv) a sum not less than ten percent, but not exceeding twenty five percent of the tax due if the tax due is up to ten thousand rupees and fifty percent if the tax due is above ten thousand rupees;

Provided where the time for extension has been obtained and late fee deposited the said penalty shall not be imposed;

Provided further in cases where the tax liability is nil and the extension of time with late fee has not been obtained, a sum not exceeding rupees two thousand for each month or part thereof shall be imposed as penalty."

(b) After clause (xxxvi), a new clause (xxxvii) shall be added; namely-

Column-1 **Offences**	**Column-2** **Penalties**
(xxxvii) being liable for obtaining Tax Deduction Account Number under sub-section (13) of Section 35, fails to apply for Tax Deduction Account Number.	**(xxxvii)** a sum of rupees five hundred for each month or part thereof for the default during the first three months and rupees one thousand for every month or part thereof after the first three months during which the default continues;

Amendment of Section 60

14. In the existing clause (a) and (b) of sub-section (2) of section 60 of the "Principal Act", after the words "registration certificate number" occurring therein, the words "i.e. Taxpayer's Identification Number (TIN)" shall be added.

Amendment of Section 62

15. The existing section 62 of the "Principal Act"-

(a) In sub-section (1), the words "before 31st December in the following year" occurring therein, shall be deleted.

(b) For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted: namely-

"(2) A true copy of such report shall be furnished by such dealer to the assessing authority along with the annual return as prescribed in section 25."

(c) In sub-section (3), for the words "by 31st December of the following year" occurring therein, the words "along with the annual return as prescribed in Section 25" shall be substituted.

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 40 विधायी / 474–2010–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।